

# कार्यालय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोडरमा।

पत्रांक- 41/बा0वि0

दिनांक- 12/02/2021

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,  
कोडरमा।

सेवा में,

अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्राप्त शिकायतों के निवारण के संबंध में।  
प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-152/रा0 दिनांक-01.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में कहना है कि Jharkhandsfc.in पोर्टल में DGRO के लॉग इन में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के क्रम में आंगनवाड़ी केन्द्र-बेहराडीह कोड-93 से संबंधित दो शिकायत, मातृ वंदना योजना से संबंधित, प्राप्त है। आवेदक गौतम कुमार दास एवं प्रेमलता कुमारी द्वारा मातृ वंदना योजना का लाभ अप्राप्त के संबंध में शिकायत की गई है।

इस शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित की गई, जो निम्नवत् है :-

Complaint Id (083082000001) दिनांक-29.08.2020 शिकायतकर्ता-गौतम कुमार दास एवं  
Complaint Id (083092000001) दिनांक-13.09.2020 शिकायतकर्ता-प्रेमलता कुमारी

इनके द्वारा मातृवंदना योजना के अन्तर्गत राशि अप्राप्त रहने की शिकायत की गई है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार इनके द्वारा आवेदन के साथ संलग्न पासबुक खाता संख्या, जो बैंक ऑफ इण्डिया का है और इनकी पत्नी के नाम से है, में राशि का भुगतान न होकर इनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता कुमारी के पूर्व में इलाहाबाद बैंक में खुलवाये गये खाते में राशि का भुगतान हो गया है क्योंकि आधार बेस्ड भुगतान होता है। इनका इलाहाबाद बैंक पासबुक खाता सं0-xxxxxxx1126 है। उक्त योजना का लाभ निम्नांकित तिथियों में इनके खाते में गई है :-

First Instalment	-	Date-16.10.2018	-	1000/-
Second Instalment	-	Date-11.01.2019	-	2000/-
Third Instalment	-	Date-22.08.2019	-	2000/-

जिसका कुल राशि 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान इन्हें इनके इलाहाबाद बैंक के खाते में हो गया है। सुलभ संदर्भ हेतु महिला पर्यवेक्षिका का जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,  
कोडरमा।

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पर्याप्तिकारी,  
कोडरगा।

विषय - प्रेमलता कुमारी पति गौतम कुमार दास  
द्वारा किए गए शिकायत के संबंध में।  
(फाइल - 152/01.02.2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रेमलता कुमारी, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र - बेदखीह, द्वारा शिकायत की गई है कि उन्हें मातृपेक्षा योजना क लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।


संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा आधार Based A/c इलाहाबाद बैंक में भी खुलवाया गया है, जिस कारण से इस योजना की सारी राशि 5000/-

रुपयें हजार रुपये क्रमशः 16.10.2018, 11.01.2019 तथा 22.08.2019 को निर्गत हुई है। इसी कारणवश

इनके वर्तमान A/c जो कि बैंक ऑफ इंडिया में (पिन 8951011000 8 9070 में नहीं जाकर इलाहाबाद बैंक के खाते जिसका नंबर xxxxxxxxxx1126 है में जाता है। लाभ को इसी राशि खोता है।

अतः भवनीय को सूचना है।

विश्वासराजन

  
11/02/2021  
कोडरगा

सेवा में,

शाल विकास परियोजना पर्याप्तिकारी,  
कोडरमा

विषय - गौतम कुमार शास द्वारा किए गए बिल  
के संबंध में।  
(पं० 152 / 01.02.2021)

ध

प्रशिक्षक,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि-

आंगनवाड़ी - केन्द्र बेहराडीह की सेविज द्वारा गौतम कुमार  
शास की पत्नी प्रेमलता कुमारी - का मातृ - वंशना योजना  
का आवेदन दिया गया था, इसमें जो राशि लागू  
को के खाते में जानी होनी है वो आधार linked  
base होनी है इसी- कारणवश जो A/c उन्होंने  
Bank में India का दिया था उसमें नहीं मिल  
उनके द्वारा सर्व में सुलवाए गए A/c जो कि  
Allahabad Bank जिसका कि अंतिम अंक  $\times \times \times \times$   
1126  
में है उसी- में इसी- राशि- 5000/- (पाँच हजार)  
खपये है गया है।

राशि निम्न तिथि को गई है उसकी विवरणी-

16.10.18	-	1000 रु०
11.01.19	-	2000 रु०
22.08.19	-	2000 रु०
		<hr/>
		5000 रु०

आर: कार्यालय को सूचनाएँ-

विश्वासभाजन  
11/02/2021  
मुख पर्यक  
कोडरमा